दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश

द्वारा संचालित लाभार्थीपरक योजनाओं के अन्तर्गत महत्वपूर्ण कार्य/उपलब्धियॉ

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कुल दिव्यांगजन की संख्या – 41,57,514 है जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के 31,66,615 एवं शहरी क्षेत्र के 9,90,899 दिव्यांगजन सम्मिलित है।

क–सामाजिक एवं आर्थिक पुनर्वासन

1. **दिव्यांग भरण–पोषण अनुदान योजना :–** योजनान्तर्गत पूर्व में रू0 300/– प्रति माह प्रति व्यक्ति की दर से अनुदान प्रदान किया जाता था, जिसे सरकार द्वारा अप्रैल, 2017 से बढ़ा कर रू0 500/– व दिसम्बर, 2021 से पुनः बढ़ा कर रू0 1000/– प्रति माह प्रति लाभार्थी कर दिया गया है।

- योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 की समाप्ति पर पेंशनर्स की संख्या 8,75,992 थी वह **अद्यतन् 11,03,739** हो गयी है। इस प्रकार वर्ष 2017 के पश्चात अद्यतन् **2,27,747 नवीन** दिव्यांगजन को चिन्हित कर लाभान्वित किया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2024–25 की प्रथम त्रैमासिक किश्त में कुल 11,03,739 लाभार्थियों को एकाउण्ट बेस्ड पेमेंट प्रणाली के माध्यम से एवं द्वितीय त्रैमासिक किश्त में कुल 8,45,065 लाभार्थियों को पेंशन की धनराशि का प्रेषण एकाउण्ट बेस्ड पेमेंट प्रणाली के स्थान पर आधार बेस्ड पेमेंट प्रणाली के माध्यम से किया गया है।
- द्वितीय त्रैमासिक किश्त के अवशेष 2,45,335 लाभार्थियों के आधार प्रमाणीकरण किया जाना है जिनमें से कुल 1,75,816 रिकार्डस का आधार प्रमाणीकरण हो गया है एवं 62,714 रिकार्डस के आधार प्रमाणीकरण की कार्यवाही प्रचलन में है।
- द्वितीय त्रैमासिक किश्त के अवशेष 1,20,239 लाभार्थियों का एन0पी0सी0आई0 किया जाना है जिनमें से कुल 71,895 रिकार्डस का एन0पी0सी0आई0 किया जा चुका है एवं कुल 48,344 रिकार्डस के एन0पी0सी0आई0 की कार्यवाही प्रचलन में है।

प्रगति विवरण

(धनराशि लाख रू0 में)

वित्तीय वर्ष		कुल आवंटित धनराशि	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति
2022-23		134295.48	119346.30	964620
2023-24		124113.35	124108.29	1037620
2024-25	प्रथम त्रैमास	139438.18	33111.91	1103739
	द्वितीय त्रैमास		25653.79	845065

2. **कुष्ठावस्था पेंशन योजना:–** कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांग हुए दिव्यांगजन को रू0 2500/– प्रति माह की दर को बढ़ाते हुए दिसम्बर, 2021 से रू0 3000/–प्रति माह किया गया है।

- योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में पेंशनर्स की संख्या 4,765 थी जो **अद्यतन् 12,361** है। इस प्रकार सरकार द्वारा **7,596 नवीन** कुष्ठजनित दिव्यांगजन को चिन्हित कर लाभान्वित किया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2024–25 की प्रथम त्रैमासिक किश्त में कुल 12,361 लाभार्थियों को एकाउण्ट बेस्ड पेमेंट प्रणाली के माध्यम से एवं द्वितीय त्रैमासिक किश्त में **कुल 9,895 लाभार्थियों** को पेंशन की धनराशि का प्रेषण एकाउण्ट बेस्ड पेमेंट प्रणाली के स्थान पर आधार बेस्ड पेमेंट प्रणाली के माध्यम से किया गया है।
- द्वितीय त्रैमासिक किश्त के अवशेष 2,466 लाभार्थियों के आधार प्रमाणीकरण एवं एन0पी0सी0आई0 की कार्यवाही प्रचलन में है।

प्रगति विवरण

(धनराशि लाख रू0 में)

वित्तीय वर्ष		कुल आवंटित धनराशि	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति
2022-23		4215.96	4082.67	11257
2023-24		4200.00	4199.64	11551
2024-25	प्रथम त्रैमास	4530.96	1112.49	12361
	द्वितीय त्रैमास		906.18	9895

3. **दिव्यांगजन से शादी करने पर पुरस्कार :** शादी–विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत न्यूनतम् 40 प्रतिशत दिव्यांगता वाले दिव्यांग दम्पत्ति में से युवक के दिव्यांग होने की दशा में रू0 15,000/–, युवती के दिव्यांग होने की दशा में रू0 20000/– तथा युवक व युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में रू0 35,000/– की धनराशि प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जाती है। योजना का संचालन ऑनलाईन किया जा रहा जिसके अन्तर्गत लाभार्थियों को पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली के द्वारा ई–पेमेन्ट के माध्यम से लाभान्वित किया जाता है।

- वित्तीय वर्ष 2017–18 से अद्यतन योजनान्तर्गत **कुल 5,529** दिव्यांग दम्पत्तियों को लाभान्वित किया गया हैं।
- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल प्राविधानित धनराशि रू0 264.00 लाख है। योजनान्तर्गत निर्धारित न्यूनतम लक्ष्य 1131 के सापेक्ष अद्यतन जनपद स्तर पर कुल 959 ऑनलाईन आवेदन–पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 455 दिव्यांग दम्पत्तियों को अद्यतन् लाभान्वित किया गया है।

प्रगति विवरण

(धनराशि लाख रू0 में)

वित्तीय वर्ष	कुल आवंटित धनराशि	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति
2022-23	264.00	110.00	420
2023-24	264.00	193.75	791
2024-25	264.00	106.20	455

4. **दुकान निर्माण/संचालन योजना :** दुकान निर्माण/संचालन योजना के अंतर्गत न्यूनतम् 40 प्रतिशत दिव्यांगता वाले दिव्यांगजन को दुकान निर्माण हेतु रू0 20,000/– एवं दुकान/खोखा/गुमटी/हाथ ठेला संचालन हेतु रू0 10,000/– की धनराशि प्रदान की जाती है। योजना का संचालन ऑनलाईन किया जा रहा जिसके अन्तर्गत लाभार्थियों को पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली के द्वारा ई–पेमेन्ट के माध्यम से लाभान्वित किया जाता है।

- वित्तीय वर्ष 2017–18 से अद्यतन योजनान्तर्गत **कुल 7,749** दिव्यांगजन को स्वरोजगार हेतु लाभान्वित किया गया हैं।
- वित्तीय वर्ष 2024–25 में योजनान्तर्गत निर्धारित लक्ष्य 1060 के सापेक्ष अद्यतन जनपद स्तर पर कुल 1430 ऑनलाईन आवेदन–पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें अद्यतन् 732 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

प्रगति विवरण

(धनराशि लाख रू0 में)

वित्तीय वर्ष	कुल आवंटित धनराशि	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति
2022-23	106.04	104.70	1008
2023-24	106.04	104.50	1045
2024-25	106.04	73.20	732

5. **उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा योजना:–**

सरकार द्वारा दिव्यांगजन को निःशुल्क बस यात्रा सुविधा उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम की बसों में उनके अन्तिम गन्तव्य स्थल तक (चाहे वह राज्य की सीमा से बाहर ही क्यों न हो) किये जाने का शासनादेश दिनांक 21 जून, 2019 को जारी कर दिया गया।

प्रगति विवरण

(धनराशि लाख रू0 में)

वित्तीय वर्ष	कुल आवंटित धनराशि	वित्तीय प्रगति
2022-23	4000.00	3219.74
2023-24	3960.00	3959.91
2024-25	4000.00	3146.70

6. **राज्य स्तरीय पुरस्कार** :– सरकार ''विश्व दिव्यांग दिवस'' के अवसर पर दिव्यांगजन के सशक्तीकरण व बेहतरी के लिए कार्य करने वाले व्यक्ति, संस्था या स्वयं दिव्यांगजन को उनके द्वारा किये गये सराहनीय कार्यों के लिये प्रदान किया जाता हैं। वित्तीय वर्ष 2017–18 से 02 श्रेणियों के स्थान पर 12 श्रेणियो के अन्तर्गत 30 उपश्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किया जाता हैं, तथा पुरस्कार की धनराशि रू0 5000/–से बढ़ाकर रू0 25000/– कर दी गयी हैं।

''विश्व दिव्यांग दिवस'' 03 दिसम्बर, 2024 के अवसर पर 19 व्यक्तियों/संस्थाओं का राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किया गया है।

7. **विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यू0डी0आई0डी0) योजना :** सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा विकसित व संचालित पोर्टल http:\\www.swavlambancard. gov.in के माध्यम से मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्तर से प्रदेश के समस्त दिव्यांगजन को निर्धारित प्रारूप पर दिव्यांगता प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाते है, जिसके आधार पर विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यू0डी0आई0डी0 कार्ड) बनाये जा रहे है।

प्रगति विवरण

वित्तीय वर्ष	निर्धारित लक्ष्य	यू0डी0आई0डी0 हेतु पंजीकृत दिव्यांगजन की संख्या	निर्गत किये गये यू0डी0आई0डी0 कार्डों की संख्या
2022-23	2,00,000	3,11,092	2,75,506
2023-24	2,00,000	3,48,403	2,47,036
2024-25	-	1,93,488	1,39,650

- प्रदेश में अब तक **कुल 18,87,428 दिव्यांगजन** का यू0डी0आई0डी0 पोर्टल पर पंजीकरण हुआ जिसके सापेक्ष **14,30,472 यू0डी0आई0डी0 कार्ड निर्गत** किये गये है।

8. **राज्य निधि :**

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम–2016 की धारा 88 (1) एवं उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियमावली– 2017 की धारा 33(1) में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत दिव्यांगजन के लिए "राज्य निधि" का गठन किया गया है। उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियमावली–2017 की धारा 33(2) के अन्तर्गत राज्य निधि के संचालन हेतु अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग उ0प्र0 की अध्यक्षता में एक शासी निकाय का गठन किया गया है।

राज्य निधि के अन्तर्गत द्वियांगजन द्वारा निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी आयोजन, खेल/ललित कला/संगीत/नृत्य आदि जैसे अन्तर्राष्ट्रीय आयोजनों में प्रतिभाग, उच्च सहायता वाले उपकरण (High Support Need Instruments) क्रय, दिव्यांगजन हेतु संचालित विद्यालयों में गणित, विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी, मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापना, खेल सुविधाओं का विकास, खेल उपकरण क्रय, दिव्यांगजन के पुनर्वास से सम्बन्धित विषयों पर कार्यशाला आयोजन जैसे आदि कार्यों हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

"राज्य निधि" में उपलब्ध एवं व्यय धनराशि का विवरणः–

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0सं0	वित्तीय वर्ष	राज्य निधि मद में प्राप्त धनराशि	राज्य निधि मद से खर्च की गयी	अभ्युक्ति
01	2022-23	500.00	159.19	दैनिक जीवन की गतिविधियों सरल बनाने हेतु उपकरण, दिव्यांगजन द्वारा प्रदर्शनी, कार्यशाला, इन–सर्विस–ट्रेनिंग कार्यक्रम, खेल सुविधाओं के विकास एवं खेल उपकरण क्रय, विज्ञान, गणित प्रयोगशाला स्थापना आदि कार्यों में धनराशि व्यय की गयी।
02	2023-24	500.00	67.13	
03	2024-25	500.00	141.25	

ख–चिकित्सकीय एवं भौतिक पुनर्वासन

1. **कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण योजनाः–** दिव्यांगजन को अधिकतम अनुदान रू0 10,000/–से बढ़ा कर 28 अगस्त, 2024 से रू0 15,000/– कर दिया गया है। शासन द्वारा दि0– 14 अक्टूबर, 2024 से भारत सरकार की एडिप योजना की भांति राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगजन हेतु संचालित कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण योजनान्तर्गत वर्तमान में प्रासंगिक उपकरणों यथा– स्मार्ट फोन, टैब्लेट एवं डेजीप्लेयर प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

प्रगति विवरण

(धनराशि लाख रू0 में)

वित्तीय वर्ष	कुल आवंटित धनराशि	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति
2022-23	3740.00	3451.63	49111
2023-24	3740.00	2199.17	33043
2024-25	1992.85	20.45	40

- वित्तीय वर्ष 2017–18 से वित्तीय वर्ष 2023–24 तक योजनान्तर्गत **कुल 3,38,319** विभिन्न प्रकार के कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरणों का वितरण किया गया है।
- योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में अद्यतन कुल 32 जनपदों द्वारा विभिन्न प्रकार के सहायक उपकरण/कृत्रिम अंग लाभार्थियों को वितरित किये जाने हेतु क्रयादेश निर्गत किया जा चुका है, शेष जनपदों में प्रसारित बिड के सापेक्ष क्रयादेश निर्गत किये जाने की कार्यवाही प्रचलन में है।

2. **शल्य चिकित्सा अनुदान योजना** :– प्रति लाभार्थी अनुमन्य अधिकतम् रू0 8000/– की अनुदान दर में वृद्धि करते हुए सरकार द्वारा **जुलाई, 2017 से रूपये 10,000/– प्रति लाभार्थी किया गया है।** कॉक्लियर इम्प्लाण्ट हेतु अनुदान की धनराशि प्रति लाभार्थी **प्रति इम्प्लाण्ट रू0 6.00 लाख** निर्धारित की गयी है।

प्रगति विवरण

(धनराशि लाख रू0 में)

वित्तीय वर्ष	कुल आबंटित धनराशि	व्यय धनराशि	भौतिक प्रगति		कुल भौतिक प्रगति
			कॉक्लियर इम्प्लान्ट	करेक्टिव सर्जरी	
2022-23	639.40	621.00	100	100	200
2023-24	748.10	747.31	124	41	165
2024-25	750.00	730.00	43	-	43

- योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल प्राविधानित धनराशि रू0 800.00 लाख के सापेक्ष प्रदेश के 61 जनपदों को 125 कॉक्लियर इम्प्लान्ट कराये जाने हेतु रू0 750.00 लाख की धनराशि का आवंटन किया गया है जिसके सापेक्ष जनपदों द्वारा रू0 730.00 लाख का व्यय करते हुए 43 कॉक्लियर इम्प्लान्ट कराये गये हैं, शेष कॉक्लियर इम्प्लान्ट कराये जाने की कार्यवाही प्रचलन में है।

3. **मानसिक मंदित आश्रयगृह सह प्रशिक्षण केन्द्र :** आश्रयहीन मानसिक दिव्यांगजन को गठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे हों या सड़कों अथवा सार्वजनिक स्थानों पर विक्षिप्त अवस्था में भटक रहे हों उनके लिए आश्रय, भोजन, वस्त्र, दैनिक दिनचर्या एवं देखभाल जैसी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा राजकीय मानसिक मंदित आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। वर्तमान में जनपद बरेली (महिला), मेरठ (पुरूष) एवं गोरखपुर (पुरूष) में राजकीय मानसिक मंदित आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र संचालित हैं। इन केन्द्रों की आवासीय क्षमता 50–50 है। उक्त के अतिरिक्त **नवीन राजकीय मानसिक मंदित आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र, जनपद–लखनऊ, मेरठ, बरेली, चित्रकूट, गोरखपुर** एवं **बॉदा** में संचालित करायें जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

4. **उत्तर प्रदेश में मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रूग्ण निराश्रित दिव्यांगजन के लिए आश्रयगृह सह प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन हेतु अनुदान योजना :** उ0प्र0 के निराश्रित मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रूग्ण व्यक्तियों के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान को सुनिश्चित करने के लिए शासकीय कार्यक्रमों के साथ स्वैच्छिक संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें आर्थिक सहयोग दिये जाने की आवश्यकताओं को दुष्टिगत रखते हुए अनुदान योजना का संचालन किया गया है। योजनान्तर्गत विभाग द्वारा 22 स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से विभिन्न जनपदों में मानसिक मंदित आश्रयगृह सह प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है।

ग– शैक्षणिक पुनर्वासन

1. **बचपन डे केयर सेन्टर्स :** 03 से 07 वर्ष के श्रवणबाधित, मानसिक मंदित तथा दृष्टिबाधित दिव्यांग बच्चों के प्री–स्कूल रेडीनेस हेतु 18 मण्डलीय जनपदों में बचपन डे केयर सेन्टर्स का संचालन किया जा रहा है। संचालित 18 बचपन डे–केयर सेन्टर्स **के संचालन की गुणवत्ता व प्रबन्धन के लिए आई0एस0ओ0 9001 : 2015 प्रमाणीकरण प्रदान किया गया है।**
   - **प्रदेश के 07 महत्वाकांक्षी जनपदों यथा– चन्दौली, सिद्धार्थनगर, बहराईच, श्रावस्ती, फतेहपुर एवं सोनभद्र में नवीन** बचपन डे केयर सेन्टर्स के संचालन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

2. **दिव्यांगजन हेतु विशेष विद्यालयों का संचालन :** उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांगजन हेतु विशेष विद्यालय– **'प्रयास'** (शारीरिक रूप से अक्षम बालकों के लिये राजकीय विद्यालय– हाईस्कूल स्तर), **'संकेत'** (राजकीय मूक बधिर विद्यालय –जूनियर हाईस्कूल), **'ममता'** (मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त बालकों/बालिकाओं का राजकीय विद्यालय) तथा **'स्पर्श'** (राजकीय दृष्टिबाधित विद्यालय) का संचालन किया जा रहा है, जिनमें वर्तमान में **कुल 1,574 छात्र/छात्रायें** अध्ययनरत हैं।

   वर्तमान में विभाग द्वारा **संचालित समस्त 16 विशेष विद्यालयों** को अपने उच्च स्तरीय शिक्षण एवं प्रशिक्षण व्यवस्था सहित कैम्पस की उच्च स्तर की प्रबन्ध प्रणाली के लिए **आई0एस0ओ0 9001 : 2015 प्रमाणीकरण** प्रदान किया गया है तथा इन विशेष विद्यालयों में गुणवत्तपरक शिक्षा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से **स्मार्ट क्लासेज** की व्यवस्था की गयी है।

   समेकित विशेष विद्यालय : दिव्यांगजन को समावेशी वातावरण में शिक्षण प्रदान कर इनके सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। इन विद्यालयों में कक्षा– 06 से 12 तक के विभिन्न दिव्यांगताओं (दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित एवं

अस्थिबाधित) से ग्रसित छात्र/छात्राओं के अतिरिक्त सामान्य छात्र/छात्रायें भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वर्तमान में जनपद–औरेया, लखनऊ, कन्नौज, प्रयागराज, आजमगढ़ में संचालित हैं इन विद्यालयों में कुल 275 छात्र/छात्रायें पंजीकृत हैं।

वित्तीय वर्ष 2024–25 से जनपद–बलिया, महराजगंज के विद्यालयों का संचालन प्रारम्भ हो गया है एवं जनपद– गाजियाबाद में समेकित विशेष विद्यालय का संचालन प्रक्रियाधीन है। जनपद–मीरजापुर, एटा, प्रतापगढ़, वाराणसी, बुलन्दशहर में निर्माणाधीन है।

3. **राज्याधीन सेवाओं में दिव्यांगजन हेतु 04 प्रतिशत आरक्षण का प्राविधान है।**

4. **राज्याधीन शिक्षण संस्थानों में दिव्यांगजन हेतु 05 प्रतिशत आरक्षण का प्राविधान है।**

5. **डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय (लखनऊ) :** दिव्यांगजन की उच्च शिक्षा को सुगम बनाने के दृष्टिगत जनपद लखनऊ में डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय संचालित है, जहॉ समस्त पाठ्यक्रमों में 50 प्रतिशत सीटें दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए आरक्षित हैं। वर्तमान में इस विश्वविद्यालय में 47 पाठ्यक्रमों में कुल 5682 छात्र/छात्रायें पंजीकृत है जिसमें से 1,541 दिव्यांग छात्र/छात्रायें अध्ययनरत हैं।

6. **जगद्गुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय (चित्रकूट) :** दिव्यांगजन की उच्च शिक्षा को सुगम बनाने के दृष्टिगत जनपद चित्रकूट में जगद्गुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय राज्य विश्वविद्यालय के रूप में दिनांक– 31.01.2023 को प्रतिस्थापित किया गया। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय तथा शासन के मध्य दिनांक– 31.01.2023 को एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किया गया एवं विश्वविद्यालय हेतु नवीन अधिनियम प्रख्यापित किया जा चुका है। विश्वविद्यालय के समस्त पाठ्यक्रमों में 50 प्रतिशत सीटें दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए आरक्षित हैं। वर्तमान में इस विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में कुल 1,642 छात्र/छात्रायें अध्ययनरत हैं।

7. **बेल प्रेस :** प्रदेश में दृष्टिबाधित छात्र/छात्राओं के पठन–पाठन हेतु ब्रेललिपि में पुस्तकों को प्रकाशित करने हेतु ब्रेल प्रेस की स्थापना की गयी है। इस ब्रेल प्रेस में विभाग द्वारा संचालित दृष्टिबाधित विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं के पठन पाठन हेतु विभिन्न विषयों से सम्बन्धित पुस्तकों को ब्रेल लिपि में प्रकाशित कराया जाता है। वर्ष 2018 में भारत सरकार द्वारा **राजकीय ब्रेल प्रेस, लखनऊ को उत्कृष्ट ब्रेल प्रेस** को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है।

डिजिटल नवाचार :–

- दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग में निदेशालय स्तर पर ई–ऑफिस व्यवस्था को लागू किया गया है।
- शादी–विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का ऑनलाईन संचालन प्रारम्भ किया गया।
- दुकान निर्माण/संचालन योजना ऑनलाईन संचालन प्रारम्भ किया गया।
- कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण योजना का ऑनलाईन संचालन प्रारम्भ किया गया।
- विभागीय विशेष विद्यालयों हेतु गुणवत्तापरक शिक्षा एवं तकनीकी नवाचार हेतु ई–लर्निंग रिसोर्स सेंटर की स्थापना एवं संचालन प्रारम्भ।
- ऑनलाईन विभागीय बजट मॉनीटरिंग सिस्टम का विकास कर संचालन प्रारम्भ।
- स्वैच्छिक संस्थाओं के पंजीयन व अनुदान की योजना को ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से संचालन आरम्भ किया गया।